राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कम्प्यूटर डेस्कटॉप, प्रिंटर, यू.पी.एस. एवं बार कोड स्कैनर उपापन हेतु

एकल चरण – दो लिफाफा बोली

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।
दूरभाष : +91–145–2627620 **फैक्स** : +91–145–2427082, 2627001 **ई–मेल** : bor-rj@nic.in

1. बोली आमंत्रण की सूचना
(NOTICE INVITING BIDS)

Nib No. BOR/ Goods /Purchase/OCB/Rs.51.75 Lacs/2021/18 **Dt.: 06/12/2021**

1. राजस्थान सरकार के महामहिम राज्यपाल की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर हेतु **Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner** उपापन के लिए निर्माता/वितरक/अधिकृत डीलरों/स्टॉकिस्टों/पंजीकृत बोलीदाताओं/वास्तविक डीलरों से शर्तरहित, मुहरबंद, एकल चरण दो लिफाफा बोलियाँ **e-proc** के माध्यम से **Online** आमंत्रित की जा रही है। बोली माल हेतु आमंत्रित की जा रही है, जिनका विवरण बोली दस्तावेज में अंकित है।

2. बोली लगाने वाले अपने माल की विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन, कैटलॉग आदि संलग्न कर सकते हैं। साथ ही अपनी बैकअप सेवाएं, वारण्टी आदि भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं।

3. अनुबंध की शर्ते, आदि सहित बोली दस्तावेज बोलियाँ खेली जाने की दिनांक से एक दिन पहले तक कार्य दिवसों के दौरान प्रसारित समय में उपापन संस्था के कार्यालय में देख सकते है। बोली दस्तावेज स्टेट प्रोक्योरमेंट पोर्टल की वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in/** **www.sppp.rajasthan.gov.in,** एवं **www.landrevenue.rajasthan.gov.in** से ही डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगें। बोली दस्तावेज का मूल्य, यूज़र चार्जेज़/प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, तथा **RISL** फीस संवेदक द्वारा ऑनलाईन या ऑफलाईन चालान बैंक में जमा करवानी होगी। जमा करवाये जाने की क्रियाविधि बिन्दु संख्या 05 में वर्णित है।

4. बोली विधिवत एवं क्रमानुसार सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षरित एवं समस्त दस्तावेजों के साथ समस्त दस्तावेज हस्ताक्षरित, दिनांक : 21/12/2021 को सायं 06:00 बजे तक **Online** जमा करवाई जानी होगी।

5. बोली दस्तावेज मूल्य एवं **RISL** फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना है। **Online** जमा करवाये जाने की क्रियाविधि निम्नानुसार है:–

1. बिड द्वारा ई–ग्रास पर प्रोफाईल बनाने के बाद ई–ग्रास प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य एवं आरआईएसएल फीस का भुगतान एक ही चालान से ऑनलाईन जमा करवाया जायेगा। आरआईएसएल फीस **बजट मद 8658–00–102–(16)–01 (सिविल विभाग)** तथा बोली दस्तावेज मूल्य हेतु निर्धारित **राजस्व मद 0075–800–(52)–(01)** में बिडर द्वारा जमा कराने हेतु ई–ग्रास पर प्रावधान उपलब्ध है ।
2. बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस जमा करवाये जाने के संबंधित चरण निम्नानुसार है :–

(अ) बिडर का ई–ग्रास पर लॉगिन पहले से नही बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई–ग्रास पोर्टल पर New User sign Up से लॉगिन फार्म भरना है ।

(ब) Login ID Password प्राप्त करने के पश्चात ई–ग्रास पोर्टल पर sign in करें।

(स) चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करें।

(द) Department का चयन करें। उसके पश्चात Service के ऑप्शन मे e-proc ऑप्शन का चयन करें।

(य) चालान फार्म में period के option में one time के ऑप्शन का चयन करें ।

(र) Payment mode में online और offline दोनो ऑप्शन उपलब्ध है। ऑनलाई मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाईठ पर रिडायरेक्ट कर दिया जायेगा।

6. बोलियाँ, संवेदकों या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते है के सम्मुख दिनांक : 22/12/2021 को समय उपराह्म : 03:00 बजे Online एवं तकनीकी बोली खोली जायेगी। तकनीकि पात्र आवेदनकर्ताओं का नियमानुसार सूचित कर दिया जावेगा।

7. उपापन संस्था सबसे कम राशि वाली बोली (L-1) को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कारण बताये किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकती है।

8. बोली लगाने वाले (संवेदक) अपनी बोली को केवल इलैक्ट्रोनिक रूप से ही प्रस्तुत करेंगे। अतः तकनीकी व वित्तीय बोली के समस्त दस्तावेज जो बोली हेतु चाहे गये है समस्त प्रपत्र के ऑनलाईन ही प्रस्तुत करेंगे। वांछित ऑफलाईन दस्तावेज जो प्रस्तुत किये जाने है वह पृष्ठ संख्या 05 पर अंकित है।

9. संवेदक बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्रस्तुत करेगा। घोषणा पत्र पर 50 रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। घोषणा प्रपत्र का प्रारूप **Annexure-H** पर सलंग्न है।

10. सफल संवेदक को कार्य आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोली राशि का 2.5 प्रतिशत जमा करवानी होगी एवं करार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. बोलीदाताओं को वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी **GST/VAT** क्लियरैंस प्रमाण–पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी "पैन कार्ड की प्रति" जमा करनी होगी।

12. उक्त बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा हुए संशोधनों के अनुसार जारी की जा रही है तथा साथ ही उक्त उपापन प्रक्रिया इन अधिनियम एवं नियमों एव संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी |

13. मण्डल कार्यालय में उपापन संबंधी समस्त सामग्री (**Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner**) प्राप्त होने एवं उनके सुचारू रूप से संचालन प्रारंभ (**Commencement**) होने के उपरान्त तथा क्रय किये गये माल की गुणवत्ता की संतोषजनक रिर्पोट (कम्प्यूटर शाखा से) प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान किया जाएगा।

2. BID - DATA -SHEET

Name of the subject matter	Supply of Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner and its commissioning
Nature of subject matter	Purchase of Goods
Way of procurement	On line through e proc
Method of procurement	Open competitive bidding
Cost of BID DOCUMENT (non-refundable)*	Rs 2000 /- (Rupees Two Thousand only) Amount to be deposited according to point No.5
RISL Processing Fees (Non – refundable)*	Rs 1000 /- (Rupees One Thousand only) Amount to be deposited according to point No.5
Bid Securing Declaration Form	Annexure - H
Bid Performance	2.5 % of the Finalised Quoted rates to be deposited by of the approved Bidder
Estimated Cost	Rs.51.75 lacs (Rupees Fifty One lakh Seventy Five Thousand only)
Date & Time of Uploading of BID DOCUMENT	06/12/ 2021
BID DOCUMENT Download Start Date & Time	06/12/ 2021
Pre BID Meeting	09/12/ 2021 Time 11.00 AM @ Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer
Last Date of Bid submission & Time (online)	21/12/ 2021 Time 06:00 PM
Date & Time,when Hard Copy of Bid & others submitted	22/12/ 2021 Time 12.00 Noon
Technical Bid Opening Date , Time & Place	22/12/ 2021 Time 03.00 PM, BoR, Ajmer
Financial Bid Opening Date , Time & Place	Technically successful bidders will be informed accordingly
Websites for downloading Bid/BID DOCUMENT/ Bidding Document, Corrigendum's, Addendums etc	http://eproc.rajasthan.gov.in/ and http:// www.landrevenue.rajasthan.gov.in www.sppp.rajasthan.gov.in
Proposal & BID Validity	90 days from the last date of bid submission

Scope of Work

• **Name of Subject Matter**	**Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner**
• **Specification of Subject Matter**	**Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner** **Desktop Computer : 69** **Printer : 69** **UPS : 69** **Bar Code Scanner : 69** * The quantity has been mentioned for indication purpose only, the Procuring Entity is free to incease / decrease the quantity looking into the circumstances and availability of budget after opening of the financial Bid for which the Bidder cannot present any claim. This is only an indication.
• **Work Period**	**Within 45 days after Issuance of Workorder**
• **Delivery Location**	**@ Board Of Revenue for Rajasthan, Ajmer**
• **Payment Method**	**100% will be made after successful installation and commissioning.**

SPECIFICATIONS

1. COMPUTER DESKTOP

ITEM	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Processor	Intel I5/AMD Ryzen-5 (9 th Generation/equivalent AMD) 6 core, with minimum 2.9 GHZ or higher (Base Frequency), 9MB Cache or higher
Chipset	Compatible Intel/AMD chipset
Operating System	Windows 10 Professional 64 bit preloaded with OEM recovery partition / Recovery DVD
Graphics	Integrated / Discrete Graphic Card
Memory	8GB DDR4 2666 MHz or Higher
Storage	1 TB 7200 RPM SATA Drive
Ports	Minimum 6 USB ports out of which Min 2 USB 3.0 or higher, 1-Display Port / HDMI, Audio Jack for Headphone & mic.
Display	Minimum 19.0" Inch or higher HD Plus (Resolution 1600 x 900) or higher display, TCO Certified
Warranty	3 Years Comprehensive onsite OEM warranty from date of Installation
Antivirus	Preloaded (Latest Version) Internet Security of Trend Micro / Symantec / Sophos / Kaspersky/ Quickheal Antivirus including OEM MAF with 3 years Subscription
Certification	ROHS Compliance, Bee / Energy Star Certified, EPEAT Registered in India
Keyboard & Mouse	OEM USB Keyboard & OEM USB Mouse with Pad
Network Interface	Integrated 10 / 100 / 1000
Office	Open Office updated version (freeware)
Accessories	All necessary cables (Power & Data Cables) to be included

*Note - The Bidder must mention the name of Processor in the bid of the above mentioned equipment.

2. MONO LASER PRINTER

ITEM	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Printer Type	Laser / Mono Ink Tank Printer Must have Wi-Fi Option
Cartridge	Composite
Print Speed	20 PPM or Higher
Warranty	3 Years Comprehensive onsite OEM warranty from date of Installation
Print Resolution	600 x 600 DPI
Input Tray	200 or Higher
Memory	Min 64 MB
Connectivity	USB, Ethernet
Duplex	Auto

3. UPS (1.0 KVA)

ITEM	TECHNICAL SPECIFICATIONS
UPS Capacity	1 KVA
Warranty	3 Years Comprehensive onsite OEM warranty from date of Installation excluding Battery
Protection	Full Protection
Certifications	BIS certification for the quoted model
User Display	Display for input & output voltage and battery charging LED Indication on Mains, Battery and Fault
Voltage	230V +- 10%
Range	160V - 280V
Power Factor	0.6 or higher
Back up Time	Minimum 30 Minutes with Minimum 9 AH or higher 12 V Battery (SMF) time to meet backup time
Test report	OEM should submit test report for the quoted model issued by State / Central Laboratory (not old from last 5 years)

4. Bar Code Scanner

ITEM	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Bar Code Scanner	Hand held type with trigger to switch on light source 610-640 nm visible red LED with focus light bar, scan 300 read sec or above, Working distance 12" beep and LED Indicator, connectivity using USB interface power. Should be capable of 2D & Higher
Warranty	3 Years Comprehensive onsite OEM warranty from date of Installation

** **BIS Certification** : Make in India and BIS make are eligible for all above category to compete for BID.

CHECKLIST

(To be filled by the Bidder necessarily)

Pre-Qualification Requirement

S.No.	Requirement	Response	Attached at page no.
1.	Proof of Firm Registration	Yes / No	
2.	Type of Bidder (Annexure - J)	निर्माता / वितरक / अधिकृत डीलर / स्टॉकिस्ट / पंजीकृत बोलीदाता / वास्तविक डीलर	
3.	Self Declaration Regarding Blacklisting / Debarment (Annexure - F)	Yes / No	
4.	Signed Bid Document	Yes / No	
5.	Bid - Document Fee @2000	Yes / No	
6.	RISL Fee @1000	Yes / No	
7.	Bid Securing Declaration Form (Annexure - H)	Yes / No	
8.	UnderTaking on Authencity of Computer Equipments (Annexure - I)	Yes / No	

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

3(अ) तकनीकी बिड हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र

बोलीदाता को निम्न दस्तावेजों को स्वयं द्वारा प्रमाणित कर e-proc हेतु स्केन कर अपलोड करने होंगे।

(i) बिड दस्तावेज हस्ताक्षरयुक्त मय सील (संवेदक संबंधित वेबसाईट से डॉउनलोड कर हस्ताक्षर मय सील करने के उपरान्त स्केन कर अपलोड करेंगे)
(ii) अधिकृत निर्माता/वितरक/डीलर/स्टॉकिस्ट आदि का प्रमाण पत्र
(iii) Black listed/Debarred/Compensation etc. शपथ–पत्र (Annexure - F)
(iv) बिड दस्तावेज शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. फीस की राशि ऑनलाईन बोली आमंत्रण की सूचना के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार जमा करवानी होगी।
(v) वस्तु एवं सेवा कर **(GST)** का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
(vi) फर्म का आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र।
(vii) बिड प्रतिभूति घोषणा पत्र (Annexure - H)
(viii) Audited Financial Statement of last 2 years (2019-2021).
(ix) Self declaration of Annual Turnover for the year 2019-2021 (Should be minimum of 20 Lakhs for each year)

3(ब) तकनीकी बिड हेतु ऑफलाईन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र

(i) बोली दस्तावेज एवं RISL फीस जमा कराये जाने की रसीद ।
(ii) Bid Securing Declaration Form (Annexure - H).
(iii) Catalogue of the product quoted for Supply
(iv) UnderTaking on Authenticity of Computer Equipments (Annexure - I).

Financial Requirement

S.No.	Name Of Requirement
1.	Price Schedule in Required Format (to be submitted online)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

3. बोली जमा सूची (Bid Submission Sheet)

दिनांक ....

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक..................

सेवामें,

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।

दूरभाष : +91–145–2627620 **फैक्स** : +91–145–2427082, 2627001 **ई–मेल** : bor-rj@nic.in

हम, अद्योहस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करते हैं कि:

(i) हमने बोली दस्तावेज पढ़ लिया है, जाँच लिया है, और हमें इसमें वर्णित प्रावधानों से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नही हैं।

(ii) हम बोली दस्तावेजों में वर्णित की गई उपापन की विषय वस्तु (मय स्पेसिफिकेशिन एवं अन्य निर्देशों सहित) के अनुरूप एवं प्रदाय अवधि की अनुसूचि में वर्णित अवधि के अनुसार निम्नलिखित माल एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है।

(क)..

(ख)..

(iii) हमारी बोली की कीमत राशि रू0...................है।

(iv) हमने उपापन प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित मदों हेतु राशि का भुगतान कर दिया है।

(क) किसको भुगतान किया है (उपापन संस्था का नाम) : **निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

(ख) पता : **अजमेर।**

(ग) किस कारण/किस मद हेतु : **बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र**

(घ) राशि...

(यदि कोई राशि का भुगतान नही किया गया है तो 'नही' अंकित करें।)

(v) बोली दस्तावेजों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हमारी बोली, बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की कालावधि तक वैद्य रहेगी एवं यह हम पर बाध्यकारी होगी और निश्चित की गई वैद्यता अवधि से पूर्व तक किसी भी समय उपापन संस्था द्वारा स्वीकार की जा सकेगी।

(vi) यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो के सही संपादन हेतु हमारे द्वारा कुल प्रदाय राशि का ...... प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में जमा कराया जायेगा या नियमानुसार इस हेतु कार्य संपादन प्रतिभूति की घोषणा की जायेगी।

(vii) हमारी फर्म, आपूर्तिकर्ता या उप बोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, भारतीय नागरिकता रखती है।

(viii) हम, बोलीदाताओं हेतु बोली दस्तावेजों में वर्णित अर्हता, पात्रता एवं योग्यता की शर्तें पूरा करते हैं और विषय वस्तु के उपापन में हमारा कोई हित विरोध नही है। हम इस बोली प्रक्रिया में एक से ज्यादा बोलीदाताओं के रूप में भाग नही ले रहे है।

(ix) हमारी फर्म, इसकी सहायक और संबंधित ईकाईयाँ, आपूर्तिकर्ता एवं उपबोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, को राज्य सरकार द्वारा या उपापन संस्था द्वारा निषेध नही किया गया है।

(x) जब तक कि औपचारिकता करार तैयार एवं संपादित नही हो जाता है, यह बोली एवं आपके द्वारा प्रेषित आशय पत्र/स्वीकृति पत्र आपके व हमारे बीच बाध्यकारी करार होगा।

(xi) आप न्यूनतम बोलीदाता या अन्य किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है, यह प्रावधान हम स्वीकार करते है।

(xii) उपापन संस्था या इसका कोई भी प्रतिनिधि हमारे लेखों, रिकार्ड एवं बोली जमा करने से संबंधित किसी भी दस्तावेज का निरिक्षण कर सकेगा तथा उनके द्वारा नियुक्त कोई भी लेखा परीक्षक इनकी लेखा जॉच कर सकेगा।

(xiii) अन्य यदि कोई हो :–...

हस्ताक्षरः–..

नामः–..

पदनामः–..

किसकी ओर से(बोलीदाता का नाम):–...

दिनांकः–...

टेलीफोन न0ः–.......................फैक्स न0ः–.......................ईमेलः–..

PRICE SCHEDULE (ITEM RATE)

(यह प्रपत्र मात्र संकेतात्मक है अनुबंध की वित्तीय बोली ऑन–लाईन ही प्रस्तुत की जानी है)

BID Inviting Authority: Registrar, Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer
Name of Subject Matter: Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner
Name of the Bidder:

S.No.	Item Name	Basic Rate (In Rs.) per item	GST (Rs.)	Any Other Taxes (In Rs.)	Amount with all Tax (In Rs.)	
					In Figures	In Words
1.	**Desktop Computer**					
2.	**Printer**					
3.	**UPS**					
4.	**Bar Code Scanner**					

Price is to be quoted for 01 unit of each item separately. The Procuring entity is not bound to purchase all the four items from a single bidder.

** **L-1 will be decide on the basis of individual quoted Price**

Also the PC can approve the rates of the bidder other than the L-1 rates.

** Note- The Name of the processor in the Item No. 1 (Desktop Computer) should be mentioned.

Signature

(Name of Bidder)

4. INSTRUCTION TO BIDDERS

बोलीदाताओं हेतु निर्देश

1. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, नियम 2013 एंव संशोधनों के अनुरूप की जायेगी।

2. उपापन की विषय वस्तु के लिए खुली प्रतियोगिता बोली पद्धति के तहत ई–प्रॉक द्वारा दर उपापन हेतु की जा रही है। जिसकी अवधि 01 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी ।

3. उपापन की विषय वस्तु के लिए सीमित बोली पद्धति के द्वारा मण्डल कार्यालय हेतु रिजोग्राफ मशीन की इंक एवं मास्टर रोल उपापन हेतु की जा रही है। उपापन हेतु एकल चरण दो लिफाफा पद्धति अपनाई जानी है, जिसमें तकनीकी दस्तावेज मूल्य का प्रमाण पत्र, बोली प्रतिभूति राशि, विषयवस्तु का स्पेशिफिकेशन, हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें एवं वित्तीय बोली (निर्धारित एवं संलग्न प्रपत्र में) प्रस्तुत करनी होगी।

4. बोली दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तें लागू होंगी।

5. बोलीदाता या उनके भागीदार, किसी भी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए।

6. बोली दस्तावेज/बोली प्रक्रिया से कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि खरीद करने वाली संस्था और सफल बोलीदाता के बीच औपचारिक अनुबंध निष्पादित नहीं होता।

7. प्रोक्योरमेंट इकाई बोली दस्तावेज में किसी भी तथ्यात्मक/या अन्य त्रुटियों को अस्वीकार करती है और उसमें दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल बोलीदाताओं को एक तार्किक बोली–प्रस्ताव तैयार करने में मदद करना है।

8. उपापन संस्था बोली दस्तावेज में किसी भी तथ्यात्मक/या अन्य त्रुटियों को अस्वीकार करती है और उसमें प्रदान की गई जानकारी केवल बोलीदाताओं को एक तार्किक बोली–प्रस्ताव तैयार करने में मदद करने हेतु है।

9. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाडे (कॉटेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी उपापन संस्था के कार्यालय के परिसर पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए है, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

10. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में जी.एस.टी. राशि को शामिल नहीं किया जाएगा।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

11. बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों का एक मूल सैट तैयार करेगा जो बोली कहलायेगी और इस पर "मूल' अंकित किया जायेगा।

12. विनिर्दिष्ट समय एंव तारीख के बाद बोलियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा और यदि डाक से प्राप्त होती है तो बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जायेगी।

13. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों में नियमानुसार ही सुधार किया जा सकेगा।

14. एकल भाग दो लिफाफा बोली प्रक्रिया में मूल्यांकन हेतु केवल उन बोलियों को सम्मिलित किया जायेगा, जो कि अपेक्षित बोली प्रतिभूति, प्रक्रिया फीस या उपभोक्ता प्रभारों और बोली दस्तावेजो की कीमत के साथ विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त की जाती है।

15. सशर्त बोलियॉ अस्वीकार किये जाने योग्य होगी।

16. बोली की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्ण उपापन संस्था सफल बोली दाता को उसकी बोली स्वीकार कर लेने की सूचना प्रदान करेगी।

17. जिनकी बोलियॉ स्वीकार नही की गई है, उनकी बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय, सफल बोली लगाने वाले के साथ हस्ताक्षरित होने और कार्य संपादन प्रतिभूति प्राप्त होने के पश्चात शीघ्र कर दी जायेगी।

18. उपापन प्रक्रिया मे यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार अपील की जा सकेगी।

19. बोलीदाताओं द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों की सत्यता का उत्तरदायित्व स्वयं बोलीदाता पर होगा।

20. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, नियम 2013 एंव संशोधनों के अनुरूप की जायेगी।

21. बिना किसी धारा/खंड के उपापन समिति बोली निरस्त करने हेतु सशस्त हैं।

22. बोली दस्तावेज शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही बोलीदाता Pre Bid बैठक में सम्मिलित हो सकेगें। Pre Bid Meeting में उपस्थित समस्त सदस्य RFP का गहनता से अध्ययन कर उपस्थित होवें ताकि उनके सुझावों एवं आपत्तियों को निस्तारित कर बोली दस्तावेज की शर्तों में सम्मिलित किया जा सके।

5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 7 की अनुपालना मे बोलीदाता द्वारा घोषणा

(Declaration by Bidder in Compliance ~~of~~ with section 7 of Act)

–: बोलीदाता द्वारा घोषणा :–

आपके द्वारा ....उपापन के लिये जारी की गई बोली आमन्त्रण सूचना क्रमांक.. के परिप्रेक्ष्य मे हमारी जमा की गई बोली के कम मे, मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के प्रावधानो के अनुरूप घोषणा करते है, कि :–

(i) मै/हम, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजो के अनुसार आवश्यक वृतिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्त्रोत रखता हूँ तथा साथ ही आवश्यक अपेक्षित सक्षमता धारित करता हूँ/करते है।

(ii) मै/हम, ऐसे करो को जो कि बोली दस्तावेजो के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, को संदत्र करने की बाध्यता को स्वीकार करता हूँ/करते है।

(iii) मै/हम, यह घोषणा करते है कि मै/हम दिवालिया रिसिवर के अधीन, शोधन अक्षम नही हूँ/है, या परिसमापन नही कर रहा हूँ/होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्याकलाप रखूगॉ/रखेगे, न अपने कारोबार के कियाकलाप निलबिंत रखूगॉ/रखेगे, ओर न पूर्वगामी कारणो मे से किसी के लिए भी विधिक कार्यशक्तियो के अध्यधीन होऊँगा/होगे।

(iv) मैं/हम, घोषणा करते है, कि अपने आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दूर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्व हुए है, या विवर्जन कार्यवाहियो के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है,

(v) मैं/हम, घोषणा करते है, कि बोली दस्तावेज के अनुसार, हमारे कोई हित के विरोध की स्थिति नही है, जो कि उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करें,

दिनांक :–
स्थान :–

हस्ताक्षरः–..
नामः–...
पदनामः–..
पताः–...
टेलीफोन न0:–...
फैक्स न0...
ईमेल...

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

6. उपापन/अनुबंध/करार की सामान्य शर्तें

(General Conditions of Contract)

1. उपापन संस्था के समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला बोलीदाता या कोई भी व्यक्ति नियमों मे उल्लिखित **''सत्यनिष्ठा संहिता''** की पालना करेगा। सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी उपबंध के भंग होने की दशा में उपापन संस्था नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।
2. उपापन संस्था या उसके कार्मिक और बोली लगाने वालों के मध्य नियमानुसार ''हित विरोध'' की स्थिति उत्पन्न नही होनी चाहिए।
3. कोई भी नैसर्गिक व्यक्ति, प्राईवेट संस्था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था या जहाँ बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात हो, किसी करार के किये जाने के औपचारिक आशय से उनका कोई समुच्चय या विद्यमान करार के अधीन सहउद्यम के रूप में बोली लगाने वाले के रूप मे पात्र हो सकते है। माल के उपापन की दशा में बोली लगाने वाला माल का विनिर्माता, वितरक या सद्‌भावी व्यवहारी होना चाहिए और वह विर्निदिष्ट रूप विधान में उसके आवश्यक सबूत देगा। साथ ही किसी बोली लगाने वाले की पात्रता नियमों में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगी।
4. खुली प्रतियोगिता बोली, दर उपापन आदि उपापन की पद्धतियों से उपापन हेतु बोली प्रतिभूति नियमानुसार प्रारूपों में, सामान्यतया उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य कर 2% होगी, जो कि आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।
5. लघु उद्योगों, रूग्ण उद्योगों या अन्य प्रकार के उपक्रमों के मामलों में बोली प्रतिभूति का संपादन नियमानसुार किया जावेगा। नियमों में उल्लेखित मामलों में बोली प्रतिभूति समपृहत की जा सकेगी। असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का नियमानुसार प्रतिदराय कर दिया जायेगा।
6. उपापन संस्था द्वारा, बोली दस्तावेजों में, यदि कोई परिवर्तन या स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, जो कि बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट निबंधनों को सारवान रूप से प्रभावित करता है, तो उपापन संस्था बोली लगाने वालों को पर्याप्त समय प्रदान कर सकेगी और तत्पश्चात् यथा उपांतरित बोली पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकेगा।
7. बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतः 90 दिनों की होगी। विशेष परिस्थितियों में उपापन संस्था कालावधि में विस्तार कर सकेगी। तत्पश्चात् जिन्होंने विस्तार से सहमति जताई हो, उन्ही बोलियों को मूल्यांकन हेतु स्वीकृत माना जायेगा।
8. बोली दस्तावेजों में विर्निदिष्ट समय, तारीख एवं स्थान पर, बोली लगाने वालों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहे, की उपस्थिति में बोलियाँ खोली जायेगी।
9. बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना, एवं अर्हता के दौरान बोली मूल्यांकन समिति स्वविवेक से किसी बोली लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध मे स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी और ऐसे स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली लगाने वाले का प्रत्युत्तर लिखित में होगा। किन्तु किन्ही गणितीय त्रृटियों की शुद्धि को पुष्ट करने के सिवाय बोली की कीमतों या सार मे कोई भी परिवर्तन अनुज्ञात नही किया जायेगा।
10. बोली दस्तावेजों में बोली लगाने वालों के द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा संपरीक्षित लेखा विवरण, वैट/जी.एस.टी. अनापत्ति प्रमाण–पत्र, PAN इत्यादि भी सम्मिलित किये जायेंगे।

11. एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्धतियों के सिवाय, जहाँ तक संभव हो, बोली पूर्व प्रक्रम के पश्चात कोई बातचीत नही की जायेगी। माँगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली पूर्व अवस्था मे ही माँगे जायेंगे। अन्यथा बातचीत सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही नियमानुसार की जा सकेगी। तत्पश्चात कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

12. उपापन संस्था वस्तु विशेष के उपापन से संबंधित प्रक्रिया में नियमानुसार गोपनीयता के संरक्षण के लिए शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।

13. उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

14. उपापन संस्था नियमानुसार किसी बोली को उपवर्जित कर सकेगी। सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने योग्य होगी।

15. राजस्थान के बाहर की फर्मों की तुलना उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नही हैं, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए राजस्थान की फर्मों द्वारा क्वोट की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का अपवर्जित कर दिया जावेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों से केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जावेगा।

16. उपापन संस्था बोली की प्रत्युत्तरदायित्वता का अवधारण करेगी। एवं बोली को प्रत्युत्तरदायी तब ही मानेगी जब कि वह बोली दस्तावेजों मे उपवर्णित समस्त उपेक्षाओं के अनुरूप है।

17. बोलियों के मूल्यांकन और के अधिनिर्णय में नियमानुसार कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।

18. मूल्यांकन कसौटी के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद बोली को सफल घोषित किया जायेगा। सफल बोली की कीमत उचित और अपेक्षित गुणवत्ता के सुसंगत होने के बाद ही उपापन संस्था द्वारा का अधिनिर्णय किया जा सकेगा।

19. उपापन के अधिनिर्णय के समय पर नियमानुसार सर्वाधिक लाभप्रद बोली कीमत पर उपापन की विषय वस्तु का परिणाम एक से अधिक बोली दाताओं के मध्य विभाजित किया जा सकेगा, यदि नियमानुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो।

20. बोली के मूल्यांकन के समय सर्वप्रथम Pre-Qualification Requirement का मूल्यांकन किया जायेगा और तत्पश्चात् तकनीकी। तकनीकी मूल्यांकन में जो बोली तकनीकी रूप से स्वीकृत होगी, उन्हीं की वित्तीय बोलियाँ खोली जायेगी और दस संबंध में संबंधितों को सूचित कर दिया जायेगा।

21. आवश्यक PQ एवं तकनीकी अपेक्षाओं को पूर्ण करती हुई न्यूनतम दर वाली बोली को सफल बोली माना जायेगा।

22. बोलियों का मूल्यांकन अंकित तकनीकी मापदण्डों, गुणवत्ता एवं अकति की गई राशि को सम्मिलित करते हुए किया जायेगा।

23. यदि कोई उपापन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी है तो उसे पुनः खोला नही जायेगा किन्तु उपापन संस्था द्वारा यदि अपेक्षित है तो, उसी विषय वस्तु के लिए, नयी उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

24. कार्य संपादन प्रतिभूति आवश्यक होगी तथा साथ ही नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति की घोषणा ली जायेगी, जहाँ इसके लिए नियमों में प्रावधान किया गया हो। कार्य संपादन प्रतिभूति नियमों के विहित प्रारूपों में दी जा सकेगी। कार्य संपादन प्रतिभूति की रकम सामान्यतया माल और सेवाओं के उपापन के मामलों में प्रदाय आदेश की रकम की 2.5% होगी। विशेष परिस्थितियों में कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण नियमानुसार किया जा सकेगा।

25. बोली लगाने वाले को स्वयं के खर्चे पर राशि रू. 500/– के गैर न्यायिक शपथ–पत्र पर स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किये जाने की दिनांक से 08 (सात) दिवस के भीतर उपापन/करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वो ऐसा करने मे विफल रहता है, तो उपापन संस्था उसके विरूद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी।

26. **विनिर्देशः–**

(i) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर नियमानुसार मार्क अंकित होना चाहिए।

(ii) तारांकित/क्रम संख्या..................................पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य माल के मामलों में जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने ना हो, अति अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण के माल का प्रदाय किया जायेगा। उपापन संस्था को इस संबंध में, कि जो प्रदाय की गई है क्या वह स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं, तथा क्या वह सैम्पल (यदि कोई हो) के अनुसार है, किया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(iii) **वारंटी एवं गारंटी का खण्ड** : बोलीदाता यह गारन्टी देगा कि माल या स्टोर वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल /स्टोर्स /वस्तुओं की सुपूर्दगी की दिनांक से.......................... दिन/माह की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि उपापन संस्था ने उक्त माल/स्टोर्स वस्तुओं का निरिक्षण कर लिया है, एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि..................................दिन/माह की उक्त अवधि में उक्त माल/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (उस संबंध मे उपापन संस्था का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा) तो उपापन संस्था उक्त माल/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो, उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाये जायेंगे, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुऐं बोलीदाता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया हो तो, वह उस माल आदि को या उसके भाग को, जिसे उपापन संस्था द्वारा रद्द किया गया है, बदल देगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्तों के उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से के अधीन या अन्यथा उस संम्बंध में उपापन संस्था के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी।

27. उपापन संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में, बोलीदाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जायेगी, वार्षिक रख रखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये

आवश्यक स्पेयर पार्टस एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

28. उपापन संस्था या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधी सभी युक्तियुक्त समय पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समय पर माल/उपकरण/मशीन की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी। तथा बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, का पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिसमें उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उस डीलर के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ठ हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

29. अनुसूची में अंकित वस्तुओं की बोलियों के साथ उचित रूप से पैक की गई उपापन वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जाएंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाये तो उपापन संस्था मे प्राप्त किये जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाली उपापन संस्था द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जायेगी।

30. परीक्षण प्रभार उपापन संस्था द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नही हैं, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जाऐंगे।

31. उपापन की विषय वस्तुएं कार्यालय परिसर पर सही दशा में सुपुर्द की जायेगी। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसेः युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा ऐसे व्यय किये जाते है तो उपापन संस्था से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नही करेगा। यदि उपापन संस्था द्वारा चाहा गया हो तो उपापन संस्था की लागत पर यह बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जा सकेगा।

32. बोली प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप मे समझा जायेगा तथा सफल बोलीदाता उपापन संस्था से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

33. उपापन संस्था परिस्थितियों के अनुसार उपापन की किसी विषयवस्तु के उपापन के लिये मना कर सकती है या विर्निदिष्ट परिमाण से कम उपाप्त कर सकती है या अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिणामों के लिये पुनरादेश नियमानुसार दिया जा सकेगा।

34. बोलीदाता अपनी उपापन को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सोपेगा या उप–भाड़े (Sub Let) पर नही देगा।

35. विवादास्पद मदों के संबंध में, भुगतान योग्य राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक राशि रोकी जायेगी। तथा उक्त विवाद का निस्तारण हाने पर ही रोकी गई राशि का भुगतान किया जायेगा। उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम, विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।

36. परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उस वस्तु के मूल्य के लिए की जायेगी, जिनका बोलीदाता प्रदाय करने मे असफल रहा है।

(क) विहित सुपुदर्गी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए – 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए – 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10 प्रतिशत।

प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा। परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उपापन संस्था को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा। यदि माल प्रदाय करने में उत्पन हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुदर्गी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी। परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किये गये माल की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढ़ंग से उनको नही बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं उपापन संस्था के पास उपलब्ध कार्य संपादन प्रतिभूति में से रोकी जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

37. दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलो के सिवाय अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा।

(क) यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तिय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर किया जायेगा। अतिशेष राशि, यदि कोई है का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और बोलीदाता को नही दिये गये है, उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिये जाने पर दिया जायेगा।

(ख) सामान्यतया उपापन की विषय वस्तु का भुगतान बोलीदाता द्वारा नियमानुसार उचित प्रारूप मे उपापन संस्था के कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकेगा।

38. यदि बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या उसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह इस हेतु पदाभिहित अधिकारी को नियमानुसार अपील दायर कर सकेगा। इस हेतु नियमानुसार परिस्थितियों में समस्त कार्यवाही इस अधिनियम, नियम व मार्गदर्शन के अनुबंधों के अनुसार की जायेगी।

39. बोली दस्तावेजों में सम्मिलित सभी भागों को या दस्तावेजों को एकीकृत रूपों में समझा जावेगा।

40. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं यथा संशोधनों के अनुरूप की जायेगी, तथा साथ ही जहॉ आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होगें ।

41. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

42. जोखिम एवं लागत नियमानुसार प्रभावी होंगे।

43. क्रय किये गये माल की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के सफल समापन के पश्चात् ही नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

44. बिना किसी धारा/खंड के उपापन समिति बोली निरस्त करने हेतु सशस्त हैं।

45. बोली दस्तावेज शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही बोलीदाता Pre Bid बैठक में सम्मिलित हो सकेगें।

हस्ताक्षर (बोलीदाता)

नामः–...
पदनामः–...
पताः–...
टेलीफोन न0ः–...
फैक्स न0...
ईमेल...

7. संविदा/अनुबंध/करार की विशेष शर्तें

(Special Conditions of Contract)

1. दर संविदा का अधिनिर्णय खुली प्रतियोगिता बोली पद्धति द्वारा होगा।
2. दर संविदा की कालावधि के लिए बोली आमंत्रण सूचना में दर्शाई गई माल की मात्रा अनुमानित है। साथ ही किसी न्यूनतम मात्रा की गारन्टी नही दी जा रही है।
3. दर संविदा न्यूनतम कीमत वाली बोली या सर्वाधिक लाभप्रद्र बोली के बोली लगाने वाले के साथ, उपापन की विषय वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना, कीमत के लिए की जायेगी।
4. जब कभी आवश्यक हो उपापन की विषय वस्तु की अपेक्षित मात्रा के प्रदाय के लिए संविदाधारक फर्म को संविदाकृत कीमत पर प्रदाय का स्थान, परिदान अनुसूची इत्यादि वर्णित करते हुए प्रदाय आदेश दिया जायेगा।
5. अंतिम मूल्यांकन के समय दर संविदा समानांतर दरों के रूप में एक से अधिक बोली लगाने वालो के साथ की जा सकती है; बशर्तें कि न्यूनतम कीमत या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाली कीमत पर देय होगी।
6. परिसमापित नुकसानी के लिए उपबन्धों को सम्मिलित करते हुए दर संविदा के निबंधन और शर्तें उनके समान होगी, जो खुली प्रतियोगी बोली द्वारा उपापन के लिए विहित होगी।
7. दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी।
8. कीमत गिरने का खण्ड दरों में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि हैं, और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट (Quote) करता है/कम करता है, तो उस दर के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा की कीमत, कीमत कम करने या कोट (Quote) करने की तारीख स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर धारक फर्म, दर के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर धारक फर्म और मूल दर धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समय कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर धारक फर्म, कीमत कम करने के लिए सहमत नही होती है तो, उनके साथ आगे और संव्यवहार नही किया जायेगा।
9. दर संविदा हेतु ऊपर वर्णित सभी उपबंधों के साथ खुली प्रतियोगी बोली के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
10. दर संविदा की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 एवं समस्त संशोधनों के अनुरूप संपादित की जायेगी।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

:: करार पत्र ::

यह करार पत्र आज दिनांक ....माह..................सन...................को एक पक्ष के .... (जिसे इसमें आगे ''अनुमोदित प्रदायकर्ता'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहा संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, इसके उत्तराधिकारियों,निष्पादकों एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे ''सरकार'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशीतियो को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूँकि अनुमोदन प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के ....को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसकी शाखा कार्यालयो को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी माल की बोली एवं संविदा की शर्तो में दिए गये तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम ....में दी गयी दरों पर प्रदाये करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।

2. चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता ने रूपये..................की राशि.........................निम्न प्रकार से जमा करायी हैं:–

   i. नकद / बैंक ड्राफ्ट / चालान संख्या / बैंकर्स चैक संख्या ....दिनांक.....................द्वारा,
   ii. विभागीय प्राधिकारियो के पास विधिवत रहन रखकर डाकघर बचत पास बुक के रूपये में,
   iii. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों / डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स / किसान विकास पत्रों या अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत किन्ही अन्य स्क्रिप्ट / इन्स्ट्रूमेंट के रूप में, यदि इन्हें सम्बंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मुल्य पर स्वीकार किये जायेंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों रूप से औपचारिक रुप से हस्तांतरित कर दिया गया हो।

3. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैं:–

   i. इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर ....के मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता..........................ओर उसके.............................में तथा बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तु का विधिवत प्रदाय करेगा।
   ii. बोली आमन्त्रण सुचना संख्या...............दिनांक..........................से संलग्न खुली प्रतियोगिता बोली / दर संविदा हेतु बोली एवं संविदा की शर्तो को तथा इस करार पत्र से जुडी शर्तो को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारो के लिए मान्य होंगे।
   iii. बोलीदाता से प्राप्त पत्र संख्या................तथा सरकार द्वारा जारी किया पत्र संख्या ....भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किया गये है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।

4. (क) सरकार एतद द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त माल का उपर्युक्त तरीके से विधिवत प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालना करेगा तथा उन्हे बनाए रखेगा, तो सरकार... ....के माध्यम से अनुमोदित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गये समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।

   (ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किये गये अनुसार होगी:–

   1...

   .2...

   .3...

5. माल की सपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जायेगी:–

क्रम संख्या	मदों की संख्या	सुपुर्दगी अवधि

6. (1) यदि परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गयी हो तो प्रदाय न किये गये सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगीः–

(i) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए– 2.5 %
(ii) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए– 5 %
(iii) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए– 7.5 %
(iv) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए– 10 %

टिप्पणी–

(i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड दिया जायेगा।
(ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 होगी।
(iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित की होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न की प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो, जो बोलीदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।

7. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

इससे साक्ष्य में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक...............माह................सन 20..........को अपने हस्ताक्षर किये।

अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर	**राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से** **हस्ताक्षर पदनाम**
दिनांक	**दिनांक**
साक्षी संख्या 01	**साक्षी संख्या 01**
साक्षी संख्या 02	**साक्षी संख्या 02**

Annexure A: Complaince with the code of Integrity and No conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- **A.** Not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- **B.** Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- **C.** Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- **D.** Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- **E.** Not indulge in any coercion including impairing or harming or treating to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- **F.** Obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- **G.** Disclose conflict of interest, if any; and
- **H.** Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country baring the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a siltation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulation.

A Bidder may be considered to be Conflict of Interest With one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- **A.** Have controlling partners/shareholders in common; or
- **B.** Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- **C.** Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- **D.** Have a relationship with each other, directly or through common third parties. That puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process's
- **E.** The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more then one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved, however, this does not limit the inclusion of the same sub contraction, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- **F.** The bidder or any of its affiliates participated as consultant in preparation of the design or technical specifications of the good, works or services that are the subject of the bid; or
- **G.** Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to **Registrar, Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer** for procurement of **Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner** in response to their Notice Inviting Bids No **BOR / Goods / Rate Contract / Rs. 51.75 Lakh / 2021 /18 Dt. :06/12/2021.** I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct ro the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:
6. Our firm has not been blacklisted/debarred anywhere in the Rajasthan.
7. Our firm is dealing in the aforesaid procured good i.e. **Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner** for the last .... years (please mention the number of years. minimum one year experience is required as per tender document.
8. I/we have put mu/our signature along with seal of my/our firm on every page of the tender document as a token of acceptance of the terms & conditions of the tender document.
9. We have purchase the tender document @Rs. 1000 vide receipt/challan no. ....
10. Security deposit is being submitted in the form of cash receipt no................................. banker's cheque no. ...., DD no. .... Egras no............................

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is..

The designation and address of the Second Appellate Authority...

1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in Contravention to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feel aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter or financial Bids be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3). If the officer designated under Para(1) fails to dispose off the appeal filed within the period specified in Para(2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or prospective bidder or the procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf with in fifteen days from the expiry of the period specified in Para(2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate, as the case may be.

4) Appeal not to lie in certain case

No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity to the following matters, namely:-

a) Determination of need of procurement;
b) Provision limiting participation of Bidder in the Bid process;
c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
d) Cancellation of a procurement process;
e) Applicability of the provisions of confidentiality;

5) Form of Appeal

a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

c) Every appeal may be presented to first appellate authority second appellate , as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6) **Fee for filing appeal**

a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

b) The fee shall be paid in the from bank demand draft banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) **Procedure for disposal of appeal**

a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

b) On the date fixed or hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, shall-

i. hear all the parties to appeal present before him; and

ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State public procurement portal.

FORM No. 1
See rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in public procurement Act, 2012

Appeal No.........................of................................
Before the.............................. (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

   (1) Name of the appellant:
   (2) Official address, if any:
   (3) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s)

   (i)..
   (ii)...
   (iii)..

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal :
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer :
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....

Place...

Date......................................

Appellant's signature

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of error, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities

i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

ii. Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under-

a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

b) 50% of the value of goods or services of the original contract.]

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in the order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure E: Declaration by the Bidder regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitted to **"REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER"** for procurement of **Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner** in response to their Notice Inviting Bids No **BOR / Goods / Rate Contract / Rs. 51.75 Lakh / 2021 /18 Dt. :06/12/2021.**

I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:
Mobile No. :

Annexure F : Self Declaration{to be filled by the bidder}

Bid No: BOR/ Goods /Purchase/OCB/Rs.51.75 Lacs/2021/18 **Dt.: 06/12/2021**

To:
Registrar,
Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer

In response to the NIB Ref. No. ……………….Dated……………………..for the purchase of Computer Desktop, Printer, UPS, Bar Code Scanner, as Owner/Partner/Director/ Auth. Sign of ………………………………..,I/We hereby declare that presently our Company/firm…………………………………………, at the time of bidding :-

- **(i)** possess the necessary professional, technical,financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procurring Entity.
- **(ii)** have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Governmnet or any local authority as specified in the Bidding Document;
- **(iii)** is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fradulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/Central government/PSU/UT.
- **(iv)** does not hace any precious trangressions with any entity in India or any other country during the last three years.
- **(v)** does not have any debarment by any other procurring entity.
- **(vi)** is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- **(vii)** does not have, and ourdirectors and officers not have been convicted of any criminal offecnce related to their qualifications conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarement proceedings;
- **(viii)** does not have a conflict of interest s mentioned in the bidding document wthich materially affects the fair competitions.
- **(ix)** will comply with the code of integrity as specified in the biddinh document.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action thay may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules therto prescribed by GoR, my/our secustiy my be forfeited in full and ourbid, to the extent accepted, may be cancelled.

Signed : ……………………………………………………
Name : ……………………………………………………
in the capacity of : ……………………………………………
Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:
Dated:
Corporate Seal : ……………………………………………

Annexure G: Declaration by the Bidder regarding Work Experience

In relation to my/our Bid submitted to **"REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER"** for procurement of **Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner** in response to their Notice Inviting Bids No **BOR / Goods / Rate Contract / Rs. 51.75 Lakh / 2021 /18 Dt. :06/12/2021.**

I/We hereby declare that my/our firm has worked for Government / Private / Public Department (Please enclose name of the organisation) in respect of **purchase of Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner.**

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Mobile No. :

Annexure H : Form of Bid - Securing Declaration

(To be filed by the bidder On Rs. 50/-Non-Judicail Stamp Paper)

Bid No: BOR/ Goods /Purchase/OCB/Rs.51.75 Lacs/2021/18 **Dt.: 06/12/2021**

To:
Registrar,
Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer

We, the undersigned, declare that:
We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid- Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the term Condition of Bid, in the following cases, namely:-

- **(i)** When we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- **(ii)** When we do not execute agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- **(iii)** When we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- **(iv)** When we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
- **(v)** If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Goverment shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

1) We are not the successful Bidders;
2) The execution of agreement for procurement and performance security is furnished by in case we are sucessful bidder;
3) Thirty days after the expiration of our bid.
4) The cancellation of the procurement process; or
5) The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed : ....
Name : ....
in the capacity of : ....
Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:
Dated:
Corporate Seal : ....

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Annexure I : UnderTaking on Authenticity of Computer Equipments

(To be filed by the bidder On Rs. 100/-Non-Judicail Stamp Paper)

Bid No: BOR/ Goods /Purchase/OCB/Rs.51.75 Lacs/2021/18 Dt.: 06/12/2021

To:
Registrar,
Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer

In response to the NIB Ref. No. ………………Dated……………………..
This has reference to the items being supplied/quoted to you vide bid ref. no………………dated ……………………………..
We hereby undertake that all the components/parts/assembly/software used in the equipment shall be genuine, original and the new components/parts/assembly/software from respective OEMs of the products and that no refurbished/second hand components/parts/assembly/ software are being used or shall we used. In respect of licensed Operating system, we undertake that the same shall be supplied along with the authorised licensee certificate with or name/logo. Also, that it shall be closed from the authorised source for use in India.

In case, we are found not complying with above at the time of delivery or during installation, for the equipment already billed, we are to take back the equipment already supplied at our cost and return any amount paid to us by you in this regard and that you will have the right to forefeit our Bid Security/SD/PSD for this bid or debar/black list us or take suitable action against us

Signed : ……………………………………………………………
Name : ……………………………………………………………
in the capacity of : …………………………………………………
Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:
Dated:
Corporate Seal : ……………………………………………………

Annexure J : MANUFACTURER'S AUTHORIZATION FORM (MAF) {to be filled by the OEMs}(Indicative Format)

Bid No: BOR/ Goods /Purchase/OCB/Rs.51.75 Lacs/2021/18 **Dt.: 06/12/2021**

To:
Registrar,
Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer

Sir,

We.. who are established and reputed originally equipment manufacturer (OEMs) having factories at.. do hereby authorise {M/s..} who is our {Distributor/ channel partner/ Retailer/Other <please specify>} to bid, negotiate and conclude the contract with you against the aforementioned reference for the following Hardware/ Software manufactured by us :-

{OEM will mention the details of all the proposed product(s) with their make/model.}

We undertake to provide OEM warranty for the offered Hardware/Software, as mentioned above, during the warranty/maintenance period.

We hereby confirm that the offers Hardware/Software is not likely to be declared as End-of-sale within next 3 years from the date of bid submission.

We here by confirm that the offer hardware software is not likely to be declared as End-of-service/support within next 3 years from the date of bid submission.

Signed : ....
Name : ....
in the capacity of : ....
Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:
Dated:
Corporate Seal : ....

Facts Of BID for Upload in SPPP

1.	**NIB**	**BOR/ Goods /Purchase/OCB/Rs.51.75 Lacs/2021 / 18 Dt. : 06/12/2021**
2.	**Method Of Bidding**	**Open Competitive Bidding through E-Proc**
3.	**Financial Year**	For the Year 2021-2022
4.	**Department**	Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer
5.	**NIB Ref. No.**	**BOR/ Goods /Purchase/OCB/Rs.51.75 Lacs/2021 / 18 Dt. : 06/12/2021**
6.	**Publish Date**	06/12/2021
7.	**No. Of BIDS Invited**	01
8.	**NIB Document**	Attached Alongwith
9.	**Language**	Hindi & English
10.	**NIB Publication Date**	06/12/2021
11	**BID Type**	**Goods Purchase**
12.	**BID Sub-Type**	**Purchase of Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner**
13.	**BID Pattern**	Open Competitive Bidding through E-Proc
14.	**BID Title**	**Purchase of Desktop Computer, Printer, UPS & Bar Code Scanner**
15.	**BID Amount**	**Rs. 51.75 Lakh (Rs. Fifty One Lakh & Seventy Five Thousand Only)**
16.	**No. Of Covers**	02
17.	**BID Publish Date**	03/12/2021
18.	**Pre-BID Meeting Date & Time**	09/12/2021 Time : 11:00 A.M., @Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer
19.	**BID Submission End Date**	21/12/2021 Time 06:00PM
20.	**Technical BID opening date**	22/12/2021 Time 03:00 P.M., @Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer
21.	**Financial BID opening date**	Technically successful bidders will be informed accordingly
22.	**Ist Appeal Hearing Authority**	Chairman, Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer
23.	**IInd Appeal Hearing Authority**	Secretary, Revenue Department, Jaipur
24.	**BID Document**	Attched Alongwith
25.	**Document Language**	Hindi & English
26.	**Is Emergency**	Yes

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।